रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2005/चैत्र 9, 1927
No. 322] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2005/CHAITRA 9, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का.आ. 452(अ).—केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि जो चाय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विहित मानकों के अनुरूप नहीं है या चाय अपशिष्ट पुनः निर्यात के लिए देश में आयात की जा रही है;

और ऐसे पुनर्निर्यात के कारण भारतीय चाय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके कारण देश के निर्यात कार्य-निष्पादन में गिरावट आती है;

और चाय अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) में अन्य बातों के साथ भारत से चाय के निर्यात पर संघ के नियंत्रण का उपबंध है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार की नीति है कि भारत से निर्यातित चाय की क्वालिटी में सुधार किया जाए और भारत से निर्यात में वृद्धि की जाए ।

और उक्त् अधिनियम का अध्याय IV चाय के निर्यात पर विनिर्दिष्ट रूप से नियंत्रण के बारे में है, विशेष कर वे शर्तें जिनके अंतर्गत ऐसा निर्यात किया जा सकता है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 बनाया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 24 के खंड (क) में यह उपबंध है कि उक्त अधिनियम के अध्याय IV की कोई बात भारत से बाहर किसी पत्तन से भारत में आयात की हुई सीमाशुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में साबित हुई चाय को लागू नहीं होगी;

और ऐसा उपबंध चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के अंतर्गत आयातित चाय को परिकल्पित नियंत्रणों से अपवर्जित करने की कोटि में होगा ।

और उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) में कतिपय परिस्थितियों में या लोकहित में अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को निलंबित करने का उपबंध हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि चाय निर्यातों के नियंत्रण से आयातित चाय को आपवर्जित करना भारत से निर्यातों के विकास के लिए हानिकारक होगा जिससे चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसलिए यह लोकहित में आवश्यक या समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार चाय अधिनियम, 1953 की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले आदेश होने तक चाय अधिनियम, 1953 की धारा 24 के खंड (क) के प्रवर्तन को निलंबित करती है ।

[फा. सं. टी-35018/2/2005-बागान-क]

अभिजित सेनगुप्त, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 2005

S.O. 452(E).— Whereas it has come to the notice of the Central Government that tea, not conforming to the standards prescribed under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 or tea waste, is being imported into the country for re-export;

And whereas the image of Indian tea is adversely affected because of such re-export and this causes a decline in the export performance of the country;

And whereas the Tea Act, 1953 (Act 29 of 1953) (hereinafter referred to as the said Act) interalia provides for the control by the Union of the export of tea from India;

And whereas it is the policy of the Central Government to improve the quality of teas exported from India and increase exports from India;

And whereas Chapter IV of the said Act specifically deals with the control over the export of tea, particularly the conditions under which such exports can take piace;

And whereas the Central Government in exercise of its powers conferred under sub-sections (3) and (5) of section 30 of the said Act has made the Tea (Distribution and Export) Control Order, 1957;

And whereas clause (a) of section 24 of the said Act provides that nothing in Chapter IV of the said Act would apply to tea proved to the satisfaction of the Customs collector to have been imported into India from any port outside India;

And whereas such a provision would tantamount to excluding imported tea from the controls envisaged under the Tea (Distribution and Export) Control Order, 1957;

And whereas sub-section (1) of section 48 of the said Act provides for the suspension of the operation of all or any of the provisions of the Act in certain circumstances or in public interest;

And whereas the Central Government is satisfied that exclusion of imported tea from the control on tea exports would be injurious to the development of exports from India, which would adversely affect the tea industry and hence it is necessary or expedient in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 48 of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby suspends the operation of clause (a) of section 24 of the Tea Act, 1953 until further orders with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. T-35018/2/2005-Plant A]

ABHIJIT SENGUPTA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.